

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, 462004

क्रमांक 854/स्टेनो/2026

भोपाल दिनांक 02.08.2026

प्रति,

कलेक्टर

समस्त जिला

मध्यप्रदेश

विषय:- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राजस्व अमले को लंबित राशि के भुगतान बाबत।

संदर्भ:- म.प्र. पटवारी संघ का ज्ञापन क्रमांक 370/पट.संघ/2026 दिनांक 20.07.2026

-0-

राजस्व विभाग के मैदानी अमले द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, परंतु संज्ञान में आया है कि राजस्व विभाग के मैदानी अमले को उनके द्वारा किये गये कार्य के संबंध में राशि समय पर प्राप्त नहीं हो रही है। उक्त के संबंध में निम्न योजना/कार्य के विषय में कार्यवाही अपेक्षित है।

1. स्वामित्व योजना योजनांतर्गत आबादी भूमि के सर्वे उपरांत अधिकार अभिलेख तैयार किया गया है। योजनांतर्गत ग्रामों में सर्वे उपरांत प्रारंभिक प्रकाशन, दावा/आपत्ति आमंत्रण, अंतिम प्रकाशन हेतु प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी व्यय आदि हेतु राजस्व के मैदानी अमले द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की गई है, परंतु कुछ जिलों में राजस्व विभाग के मैदानी अमले को अभिलेख निर्माण के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नियत राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। योजनांतर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के निर्देश दिनांक 07/07/2020 के संलग्न परिशिष्ट: 03 में राशि रुपये 7500/- का प्रावधान है। उक्त व्यय की पूर्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किये जाने के निर्देश हैं। निर्देशों के अनुक्रम में अभिलेख निर्माण आदि हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित विभाग से समन्वय कर राजस्व विभाग के मैदानी अमले को यथाशीघ्र लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाये।

2. भारत सरकार द्वारा 11वीं कृषि संगणना वर्ष 2020-21 के संबंध में जारी गाईडलाईन में कृषि संगणना का मानदेय नियत है। इसी प्रकार से छठी लघु सिंचाई गणना वर्ष 2017-18 के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में मानदेय निर्धारित किया गया है, किन्तु राजस्व विभाग के मैदानी अमले को भुगतान समय पर प्राप्त नहीं हुआ है। नियत राशि/मानदेय के लंबित राशि के संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर गाईडलाईन अनुसार भुगतान की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करायी जाये।

Digitally signed by
Eathakota Ramesh Kumar
Date: 02-08-2026
15:03:27

(डॉ. ई रमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग



क्रमांक 854/स्टेनो/2026

भोपाल दिनांक 02.08.2026

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
5. आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन भोपाल को सूचनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग